

# ORDER SHEET

THE COURT

एच के ए गृप्ता  
मायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग  
Of 20  
600308/16

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
21-10/15	<p>आरक्षी केन्द्र रोड नं. 1 की ओर से आरक्षक क्रि. नं. 34(3) द्वारा संबंधित थाने के 28/10 अतर्गत धारा 173 द0प्र0स0 के अधीन अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोगपत्र/परिवाद धारा 173 द0प्र0स0 के अधीन केन्द्रीय पंजीयन प्रारूप फार्म की दो प्रतियों में विधिवत् प्रस्तुत किया गया।</p> <p>राज्य द्वारा ए डी पी ओ श्री ..... ✓</p> <p>अभियुक्त/अभियुक्तगण सहित/द्वारा ..... प्रकरण में धारा 190-1 द0प्र0स0 के अधीन संज्ञान लिये जाने का आधार अभियुक्त/अभियुक्तगण ..... भानुकि 81.56 हवा 5 फर</p> <p>के विरुद्ध प्राये जाने से उनका संज्ञान लिया गया।</p> <p>अभियुक्तगण को न्यायालय की अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्तगण को द0प्र0स0 की धारा 207 के अधीन अभियोगपत्र की संमस्त विहित नकलें/छायाप्रति प्रदान की गई। पावती अंकित कराई जाए। प्रकरण में मुददे माल प्रस्तुत/प्रस्तुत नहीं।</p> <p>अभियुक्त/अभियुक्तगण उप0 नहीं।</p> <p>साथ ही केन्द्रीय पंजीयन के विहित फार्म की प्रति अभियोगपत्र सहित केन्द्रीय पंजीयन कार्यालय में आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाए प्रकरण थोड़ी देर बाद पेश हो।</p> <p>अभियुक्त को सूचनापत्र/समन द्वारा आहूत किया जावे। प्रकरण अभियुक्त की उपस्थिति हेतु दिनांक 22/10/16 को पेश हो।</p>	

हो।

एच के ए गृप्ता  
मायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग  
जो 0एम0एफ0सी0  
मायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग



Signature of Parties  
Pleadings necessary

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Date of  
order or  
proceeding

राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्त ..... उपप0।  
चूंकि मामला संक्षिप्त विचारणीय है। अतः संक्षिप्त विरुद्ध  
किया गया। अभियुक्त/अभियुक्तगण के

प्रारम्भ ..... भा0दं0सं0 /  
धारा 34(2) अभियुक्त की विशिष्टियां  
अधिनियम के अधीन अपराध की समझाये जाने पर  
विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये स्वीकार किया। अतः  
अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया  
अभिवाक् यथा संभव उसके शब्दों में लेखबद्ध किया गया।

अभियुक्त/अभियुक्तगण की स्वेच्छया अपराध की  
स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रथक से टंकित कराकर  
हस्ताक्षरित, दिनांकित, मुद्रांकित कर घोषित किया गया। अभियुक्त  
को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय अवसान  
तक की अवधि के दण्ड एवं ..... रूपये के  
अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की  
दशा में अभियुक्त को ..... दिवस का साधारण कारावास  
भुगताया जावे।

निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान की जाये।

जप्तसुदा संपत्ति ..... रूपये राजसात  
किये जायें। संपत्ति ..... मूल्यहीन होने से नष्ट कर  
व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा में वाहन उसके स्वामी  
को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त किया  
जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के  
आदेशों का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित  
अवधि में अभिलेख संचयन हेतु आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरान्त  
अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

पुनश्च:

निर्णयानुसार अभियुक्त/अभियुक्तगण ने अर्थदण्ड की राशि बुक  
रूपये अदा की जिसकी पावती दी  
रसीद क0 ..... दी

क0 ..... 56/25  
अभियुक्त/अभियुक्तगण को सजा भुगताई गई।

प्रकरण उपरोक्त निर्देश अनुसार संचित हो।

J.M.F.C